भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2184**

दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

गैर–पारम्परिक निर्यात बाजार देशों की पहचान करना

2184. **श्री पंकज बोराः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गैर–पारम्परिक निर्यात बाजार देशों की पहचान कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने निर्यात योग्य भारतीय मदों के संवर्धन हेतु तथा निर्यात क्षेत्र को नया आयाम प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया)

(क) से (घ) : भारत सरकार द्वारा गैर-परंपरागत निर्यात बाजारों को अभिज्ञात किया गया है और उन्हें विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस) में शामिल किया गया है । इस समय विदेश व्यापार नीति में एफएमएस के अंतर्गत कुल 112 अधिसूचित बाजार हैं जिनमें बावन (52) अफ्रीकी देश, तैंतीस (33) लैटिन अमेरिकी देश, दस(10) राष्ट्रकुल देश-मध्य अफ्रीकी गणराज्य, पाँच (05) पूर्व यूरोपीय देश, ग्यारह (11) एशिया-ओसियाना ब्लॉक के देश और एक (01) एशियाई देश शामिल है ।

सरकार ने फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) के अंतर्गत अभियांत्रिकी, रसायन, भेषज, हस्तशिल्प तथा चर्म क्षेत्रों में विभिन्न मदों और विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के अंतर्गत कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं । इन स्कीमों के अंतर्गत शामिल मदों की संख्या क्रमशः लगभग 5000 और 796 है । बाजार विविधीकरण और उत्पाद संबद्ध बाजार समेकन पर विशेष ध्यान है ।

.....